



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042021-226443  
CG-DL-E-08042021-226443

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 8, 2021/चैत्र 18, 1943

No. 203]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 2021/CHAITRA 18, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2021

**सा.का.नि. 254(अ).**—केन्द्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम संक्षिप्त खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 होगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 में, नियम 44 के उप नियम (i) के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा:

“परन्तु जिन धातुओं के संबंध में लंदन धातु एक्सचेंज दैनिक निपटान मूल्य प्रकाशित नहीं करता है, उन धातुओं के लिए लंदन धातु एक्सचेंज द्वारा प्रकाशित मासिक औसत मूल्य उस मुद्रा जिसमें मूल्य प्राप्त किया जाता है के निर्दिष्ट मूल्य के मासिक औसत से गुणा किया जाएगा।”

[फा. सं. 16/73/2020-खान-VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

**नोट :** खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 04 मार्च, 2016 में प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात् सा. का. नि. 209 (अ) तारीख 24 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किए गए।

**MINISTRY OF MINES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th April, 2021

**G.S.R. 254(E).**—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Second Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, in rule 44, after clause (i), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that in respect of metals for which London Metal Exchange does not publish the daily settlement price, the monthly average price for that metal published by London Metal Exchange shall be multiplied by monthly average of reference rate for the currency in which the price is obtained.”

[F. No. 16/73/2020-M.VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

**Note :** The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th March, 2016 and lastly amended *vide* G.S.R.209 (E), dated the 24th March, 2021.